विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, (भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-११००११

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road.
New Delhi-110011

Ph. EPABX-23022220, 23022221, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315,23061726, 23061068, e-Mail- dcmsmehq@nb.nic.in

एमएसएमई-नीति प्रभाग

सं.2(18)/2007- एमएसएमई (नीति) दिनांक:24 सितम्बर,2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 एवं 23 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 14-12-2006 को सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए अनुदेश सं. 12/2006 के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आपर्तिकर्त्ताओं (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2 (क) (ii) (एम) की परिभाषा के अनुसार) को चिन्हित करने में समस्याएं- आय से कटौती के रूप में ब्याज की अनुमति नहीं - एमएसई को अपने पत्रशीर्षों/बिल पुस्तिकाओं/बाउचरों आदि पर उद्यमशीलता ज्ञापन पावती सं. मुद्रित करने का सुझाव।

****

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 22 के अनुसरण में खरीददार को वार्षिक लेखा विवरण में ब्याज सहित भुगतान न की गई राशि को विनिर्दिष्ट करना होगा। उक्त अधिनियम में धारा 23 में प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की गणना के उद्देश्य से किसी खरीददार द्वारा देय अथवा भुगतान की ब्याज राशि की कटौती की अनुमति नहीं होगी।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीददारों के वार्षिक लेखा विवरणों में सूक्ष्म उद्यमों को ब्याज सहित भुगतान न की गई विनिर्दिष्ट राशि के संबंध में स्पष्ट चित्रण किया जाएगा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अपने अनुदेश सं. 12/2006 द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किया जिसे दिनांक 24 अगस्त 2007 के समसंख्यक इस कार्यालय के का.ज्ञा. द्वारा सभी संबंधितों को परिचालित किया गया (प्रति संलग्न)। इसी प्रकार, कम्पनी कार्य मंत्रालय ने भी अनुसूची-IV में उपयुक्त परिवर्तन हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की ताकि वार्षिक लेखा विवरण में एमएसई आपूर्ति कर्त्ताओं को भुगतान न की गई राशि तथा ब्याज को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। उक्त अधिसूचना को दिनांक 14-12-2007 के इस का.ज्ञा. द्वारा सभी संबंधितों के ध्यान में भी लाया गया था (प्रति संलग्न)।

तथापि, आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि एमएसएमई आपर्तिकर्त्ता को इसके आपूर्ति आर्डर/ इनवायसेस तथा अन्य दस्तावेजों में चिन्हित करने के अभाव में खरीददार के लिए वार्षिक लेखा विवरण में उनका उल्लेख न करने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करते समय, लेखा परीक्षक चिन्हित करने की अनुपलब्धता के कारण, उपलब्ध दस्तावेजों से इस प्रकार की भूलों की कटौती न कर पायें। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एमएसई खरीददार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:- "एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 2 (क) (ii) (एन) के अनुसार, आपूर्तिकर्ता का आशय ऐसे सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम से है जिसने धारा 4 की उप धारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।"

4. इस मामले की जांच की गई है। यह परामर्श योग्य है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अपनी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा अधिसूचना अनुसार जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) अथवा सक्षम प्राधिकरण द्वारा उक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद यथा आवंटित उद्यमी ज्ञापन (ईएम) का अपने पत्र शीर्षों, आपूर्ति आर्डर पत्रों, इनवायसेस, बिलों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में उल्लेख करना चाहिए। उन्हें मुद्रित कराना चाहिए ताकि एक एमएसई आपूर्तिकर्त्ता के रूप में एक चिन्ह हमेशा विद्यमान हो सके।

5. कृपया इसे अपने राज्य में/आपके अधिकार क्षेत्र में संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघों के माध्यम से अथवा इस विषय पर सभी अन्य संभव साधनों द्वारा सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जानकारी में लाएं जिसकी जानकारी इस कार्यालय को भी दें ताकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा-22 सब धारा-23 के प्रावधानों को वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

6. इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु की जानकारी जिला उद्योग केन्द्रों तथा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी संबंधितों को देने की कृपा करें।

भवदीय,

पी.के.पाढी

(पी.के.पाधी)
अपर विकास आयुक्त एवं
आर्थिक सलाहकार (एमएसएमई)
दूरभाष: 23061069
फैक्स: 23061611

1. उद्योग सचिव/उद्योग निदेशक
   सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
2. निदेशक, सभी एमएसएमई विकास संस्थान
   प्रभारी, सभी शाखा एमएसएमई विकास संस्थान

अध्यक्ष, सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) संघों को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु को उनके सभी सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली
5. डाक सूची के अनुसार अन्य सभी।
6. संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. की विषय वस्तु को एमएसएमई मंत्रालय की दें
7. उप निदेशक (सेनेट), विकास आयुक्त (एमएसएमई)का कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु को विकास आयुक्त (एमएसएमई) की वेबसाईट पर तत्काल स्थापित किया जाए।
8. डाक सूची के अनुसार अन्य सभी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ-

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (श्री आनंद कुमार केडिया) निदेशक (टीपीएलIII)कमरा नं. 147 जी, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को दिनांक 25 जून, 2008 के इस कार्यालय के समसंख्यक यू ओ के संदर्भ में (प्रतिलिपि संलग्न)। अनुरोध है कि एमएसएमई मंत्रालय के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई की जानकारी तत्काल देने की कृपा करें।

भवदीय,

पी.के.पाढी

(पी.के.पाढी)
अपर विकास आयुक्त एवं
आर्थिक सलाहकार (एमएसएमई)
दूरभाष: 23061069
फैक्स: 23061611

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर – 05

कमांक : एफ 15 (1)आयु0उ0 / ई0एम0 / एमएसएमई–नीति / 2008 उद्यो. दिनांक : 5-11-2008

प्रतिलिपि : निम्न को अवलोकन, कर आवश्यक कार्यवाही करने एवं उनके स्तर से सम्बन्धित औद्योगिक संघों को भारत सरकार के पत्रों की प्रति प्रेषित कर प्रचार–प्रसार की कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित है :–

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक, उद्योग / जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
3. मास्टर फाइल।

November 05, 2008
संयुक्त निदेशक उद्योग

सं.2(16)/2007-एम एस एम ई-पॉलिसी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय
निर्माण भवन
<u>नई दिल्ली-110108</u>

तत्काल/आज ही/दस्ती/स्पीड पोस्ट

10 सितम्बर, 2007

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अध्याय-V-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतान) के प्रावधानों का "वार्षिक लेखा विवरण में ब्याज सहित भुगतान न की गई राशि को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता" से संबंधित धारा-22 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत "आय से कटौती के रूप में अनानुमत्य ब्याज" से संबंधित धारा-23 के तहत कार्यान्वयन-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)(राजस्व विभाग-वित्त मंत्रालय) द्वारा यथा अधिसूचित अनुदेश सं. 12/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 से सम्बन्धित सूचना के संबंध में।

******

एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सी बी डी टी ने सभी मूल्यांकनकर्त्ता अधिकारियों को अपने अनुदेश सं. 12/2006, 14 दिसम्बर, 2006 द्वारा अनुदेश अधिसूचित किए हैं जिसके द्वारा उन्हें निदेश दिया गया है कि वे उक्त अधिनियम की धारा-22, जिसमें अलग से वार्षिक लेखा विवरण में मूल राशि तथा उसपर देय ब्याज (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईज) को देय विलम्बित भुगतान पर) को स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है जिससे मूल्यांकनकर्त्ता अधिकारी ब्याज के भुगतान अथवा खरीदकर्ता द्वारा प्रदत्त राशि के कारण अनानुत्य सही राशि का पता लगा सकते हैं, और उक्त अधिनियम की धारा-23, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अथवा उनके अनुसार देय ब्याज अथवा किसी खरीदकर्त्ता द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि को आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, के तहत प्रावधानों को कार्यान्वित करें।

2. सी बी डी टी द्वारा उनके अनुदेश सं. 12/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 द्वारा जारी किए गए उक्त अनुदेशों की एक प्रति एतदद्वारा इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि उसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए जिनमें केन्द्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संस्थाएं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदें शामिल हैं, और इसका व्यापक प्रसार किया जाए ताकि इन अनुदेशों को सही रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

3. कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

संलग्नक: यथोक्त

(संजीव कौशल)
संयुक्त सचिव एवं अपर विकास आयुक्त
दूरभाष: 23062694 फैक्स: 23061972

(1) सचिव, भारत सरकार (सभी मंत्रालय/विभाग)

(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु की जानकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को उनकी सूचना एवं अनुपालनार्थ दी जाए।

(3) उद्योग सचिव/उद्योग निदेशालय (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)

(4) निदेशक, एम एस एम ई-विकास संस्थान (एस आई एस आईज)/प्रभारी, शाखा एम एस एम ई-विकास संस्थान।

(5) अध्यक्ष, सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी सदस्यों को दें।

(6) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन एस आई सी, नई दिल्ली।

(7) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ।

(8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में उपसचिव स्तर के सभी अधिकारी।

(9) विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में सभी अनुभागों तथा निदेशक स्तर के सभी अधिकारी।

(10) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य वित्तीय निगमों सहित वाणिज्यिक बैंक तथा वित्तीय संस्थान।

(11) डाक सूची के अनुसार अन्य सभी ।

फा सं 225/132/2006- आ.क.नि.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक/ 5 दिसम्बर, 2006

सेवा में,

सभी आयकर आयुक्त,
सभी आयकर महानिदेशक ।

महोदय/महोदया,

विषय: लघु, छोटे एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंध -आय से ब्याज को कटौती के रूप में अनुमति न दी जाए ।

लघु, छोटे एवं मझौले उद्यमो के संवर्धन एवं विकास एवं स्पर्धा को बढ़ाने में सहयोग करने को विहित करने वाला लघु, छोटे एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस एम ई डी ए, 2006) दिनांक 2 अक्तूबर, 2006 से प्रवर्तित हुआ है । उक्त अधिनियम की धारा 22 एवं 23 के उपबंधों का आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 'क्रेताओं' के कर निर्धारण से सम्बन्ध है । यहाँ क्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो विचारार्थ किन्हीं वस्तुओं का क्रय करता है अथवा एक 'आपूर्तिकर्ता' से किन्हीं सेवाओं को प्राप्त करता है ।

2. एम एस एम ई डी ए 2006 की धारा 23 यह विहित करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा इसके अन्तर्गत किसी क्रेता के द्वारा संदत्त अथवा संदेय ब्याज की राशि को आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । एम एस एम ई डी ए, 2006 की धारा 22 अन्य बातों के साथ-साथ लेखों के वार्षिक विवरण में मूलधन एवं ब्याज बकाया के पृथक रूप से प्रकटन की अपेक्षा करता है । इससे कर निर्धारण अधिकारियों को क्रेता के द्वारा संदेय अथवा संदत्त ब्याज के सम्बन्ध में अननुमति की निश्चित राशि को निश्चित करने में सहायता मिलती है ।

3. ऊपर उल्लिखित अधिनियम की संगत धाराओं को संदर्भ हेतु अनुबंध में पुनः उद्धृत किया जा रहा है।

4. प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त को आपके अधीन सभी कर निर्धारण अधिकारियों की सूचना में लाया जाए ।

भवदीय,
(रेनू जौहरी)
निदेशक (आ.क.नि.II)
टेलीफैक्सः 23092837

संलग्नः यथोपरि

प्रतिलिपिः अंग्रेजी रूपानुसार प्रेषित

लघु, छोटे एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संगत उपबंध

"धारा 22: जहाँ किसी क्रेता से वर्तमान समय में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत उसके वार्षिक लेखों की परीक्षा कराना आवश्यक होता है, वहाँ ऐसा क्रेता अपने वार्षिक लेखा विवरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा, नामतः-

(i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता को शेष असंदत्त मूलधन की राशि एवं उस पर ब्याज (पृथक रूप से दर्शाया जाए);

(ii) धारा 16 की शर्तों के अनुसार क्रेता के द्वारा संदत्त ब्याज की राशि के साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को अदा की गई राशि;

(iii) इस अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोडे बिना अदायगी (जिन्हें अदा तो किया गया है, किन्तु वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात) में हुए विलम्ब की अवधि के लिए देय अथवा संदेय ब्याज की राशि;

(iv) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर प्रोद्भूत एवं शेष ब्याज की राशि; एवं

(v) पश्चातवर्ती वर्षों में भी अतिरिक्त संदेय एवं बकाया ब्याज की राशि, ऐसी तिथि तक जब तक, धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अनानुमति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यमों को उपर्युक्त अनुसार देय ब्याज को वास्तव में अदा किया गया ।

धारा 23: आयकर अधिनियम, 1961 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा अन्तर्गत किसी क्रेता के द्वारा संदेय अथवा संदत्त ब्याज की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आय की संगणना के प्रयोजनार्थ कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

2. ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता की परिभाषा को भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

2(ढ): "आपूर्तिकर्ता" का तात्पर्य एक लघु अथवा छोटे उद्यम से है, जिसने धारा 8 की उप धारा (1) में संदर्भित प्राधिकरण में एक ज्ञापन दायर किया है, एवं इसमें शामिल है:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी होने के नाते राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी होने के नाते, एक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, का लघु उद्योग विकास निगम;

(iii) समय-समय पर लागू किसी कानून के अन्तर्गत गठित अथवा पंजीकृत कोई कम्पनी, सहकारी संस्था, न्यास अथवा निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, एवं जो लघु अथवा छोटे उद्यमों के द्वारा उत्पादित माल की बिक्री में एवं ऐसे उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को प्रदान करने के कार्य में संलग्न है ।"

3. अधिनियम की धारा 7(1) लघु एवं छोटे उद्यमों को परिभाषित करती है ।

एक "लघु उपक्रम" का तात्पर्य उपक्रमों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों से है, भले ही वह पूर्ण स्वामित्व वाले, हिन्दु अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समिति, साझेदार फर्म, कम्पनी अथवा उद्यम, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, यदि संयंत्र एवं मशीनरी में इसका निवेश पच्चीस लाख रूपए से ज्यादा नहीं होता है, बशर्ते यह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न है। तथापि, यदि उद्यम सेवाओं को उपलब्ध कराने अथवा प्रदान कराने में संलग्न है, तब इसके औजारों में किया जाने वाला निवेश दस लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए ।

एक "छोटा उद्यम"- एक "छोटे उद्यम" की परिभाषा एक "बड़े उद्यम" की परिभाषा के समान ही है, अन्तर केवल इतना ही होता है कि एक विनिर्माण उद्यम के मामले में निवेश की राशि बीस लाख रूपए से अधिक होती है परन्तु पाँच करोड. की राशि से अधिक नहीं होती है एवं एक सेवा उद्यम के मामले में यह दस लाख रूपए से अधिक होती है किन्तु दो करोड. रूपए से अधिक नहीं होती है ।

संख्या: 2(18)/2007-एम एस एम ई-पॉलिसी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
निर्माण भवन
नई दिल्ली-110108

34

अत्यावश्यक/आज ही भेजिए/दस्ती/स्पीड पोस्ट

14 दिसम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 (अध्याय-V सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतान) के प्रावधानों का कार्यान्वयन **"वार्षिक लेखा विवरण में भुगतान न की गई ब्याज सहित राशि को उल्लेख करने हेतु अपेक्षा" से सम्बन्धित धारा-22-** कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचिना सं. जी.एस.आर.719(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2007

******

एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में, कारपोरेट मंत्रालय ने अधिसूचना सं. जी.एस.आर.719(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2007 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिनमें कंपनियों के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे के प्रारूप को निर्धारित किया गया है ताकि एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा-22, जो [सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम एस ई) को देय विलम्बित भुगतानों पर] मूलधन तथा तत्संबंधी देय ब्याज को वार्षिक लेखा विवरण में अलग से दर्शाने की मांग करता है, के प्रावधानों को नियमित किया जा सके। दिनांक 24 दिसम्बर, 2006 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा सभी सम्बन्धितों को परिचालित और बेबसाईट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीसीएमएसएमई.जीओवी.इन) पर स्थापित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के परिपत्र सं. 12/2006 द्वारा अधिसूचित अनुदेशों के साथ सम्बद्ध कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना से ब्याज के भुगतान के कारण अनानुमत्य खरीदकर्त्ता द्वारा भुगतान की गई सही राशि तथा उक्त अधिनियम की उप धारा-23 के कार्यान्वयन का पता लगाया जा सकेगा, जो यह निर्धारित करता है कि देय ब्याज अथवा एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अथवा उनके अनुसरण में किसी खरीदकर्त्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि को आय की गणना में, कटौती के रूप में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2. उक्त अधिसूचना की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि उसे केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एम एस ई एफ सी), आदि सहित सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाया जाए और उसका व्यापक प्रचार किया जाए ताकि इन अनुदेशों को वास्तव में लागू किया जा सके। अधिसूचना सहित का.ज्ञा. वेबसाईट (डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डीसीएमएसएमई.जीओवी.इन) पर भी उपलब्ध है।

3. कृपया इसे तत्काल समझा जाए।

संलग्नक: यथोपरि

संजीव कौशल

(संजीव कौशल)
संयुक्त सचिव एवं अपर विकास आयुक्त
दूरभाष:23062694 फैक्स: 23061972

1. सचिव, भारत सरकार (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु को सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के प्रमुखों की उनकी सूचना एवं अनुपालनार्थ जानकारी में लाया जाए।
3. सचिव, उद्योग/उद्योग निदेशालय (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।
4. निदेशक, एम एस एम ई-विकास संस्थान (एसआईएसआई)/प्रभारी, शाखा, एम एस एम ई विकास संस्थान।
5. अध्यक्ष, सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु को उनके सभी सदस्यों की जानकारी में लाया जाएगा।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन एस आई सी, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ।
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में उपसचिव स्तर तक के सभी अधिकारीगण।
9. विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन, नई दिल्ली के सभी अनुभाग तथा निदेशक स्तर तक के सभी अधिकारीगण।
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य वित्तीय निगमों सहित वाणिज्यिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं।
11. विषयवस्तु को वेबसाईट पर स्थापित करने हेतु उप-निदेशक (सेनेट)।
12. डाक सूची के अनुसार अन्य सभी।

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

63 35

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929
No. 505] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 719(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 में निम्नलिखित और परिवर्तन करती है, अर्थात :—

1. उक्त अनुसूची में, "भाग I-तुलनपत्र का प्ररूप के अधीन शीर्ष-क उर्ध्वाधर प्ररूप" में,—

(1) "वे हिदायतें जिनके अनुसार दायित्व निश्चित किए जाते हैं" से संबंधित पहले स्तंभ में "चालू दायित्व और उपबंधित रकम" उपशीर्ष के सामने आने वाले दूसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :—

"लेखों के टिप्पण के अधीन निम्नलिखित प्रकटित किया जाएगा :—

(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अन्त में मूल रकम और उस पर देय ब्याज (पृथक रूप से दर्शित की जाए) शेष किसी प्रदायकर्ता को असंदत्त ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदायकर्ता को संदाय की गई रकम के साथ क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम ;

(ग) संदाय करने में हुए विलंब की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की रकम (जिसका संदाय कर दिया गया है किंतु वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे है) किंतु उसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;

(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उद्भूत ब्याज की रकम और शेष असंदत्त; और

(ङ) पश्चात्‌वर्ती वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब यथा पूर्वोक्त देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में संदाय कर दिया गया हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में मूक के प्रयोजन के लिए ।

(2) "चालू दायित्व और उपबंधित रकम" शीर्षक के अधीन "दायित्व" से संबंधित दूसरे स्तंभ में, मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित उप मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और

(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न उधार लेने वालों के कुल बकाया देय ।

(3) तुलन पत्र तैयार करने के लिए साधारण हिदायतें को समाविष्ट करने वाली "टिप्पणी" में, मद (थ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(थ) 'नियत दिन', 'क्रेता', 'उद्यम', 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'प्रदायकर्ता' पदों को उसी प्रकार परिभाषित किया जाएगा जैसे वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के क्रमशः खंड (ख), (घ), (ङ), (ज), (ड), (ढ) में परिभाषित हैं।

2. ये अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/5/2006-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— अनुसूची का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और तत्पश्चात् संशोधन
2. सा.का.नि. सं. 414 तारीख 21-3-1961
3. सा.का.नि. सं. 78 तारीख 4-1-1963
4. सा.का.नि. सं. 129 तारीख 3-1-1968
5. सा.का.नि. सं. 1665 तारीख 9-10-1971
6. सा.का.नि. सं. 494 (अ) तारीख 30-10-1973
7. सा.का.नि. सं. 455 तारीख 27-4-1974
8. सा.का.नि. सं. 220 (अ) तारीख 12-3-1979
9. का.आ. सं. 400 (अ) तारीख 19-4-1988
10. सा.का.नि. सं. 784 (अ) तारीख 13-7-1988
11. का.आ. सं. 723 (अ) तारीख 18-9-1990
12. सा.का.नि. सं. 388 (अ) तारीख 15-5-1995
13. सा.का.नि. सं. 423 (अ) तारीख 13-9-1996
14. सा.का.नि. सं. 129 (अ) तारीख 22-2-1999
15. सा.का.नि. सं. 376 (अ) तारीख 22-5-2002
16. सा.का.नि. सं. 545 (अ) तारीख 1-8-2002
17. सा.का.नि. सं. 762 (अ) तारीख 13-11-2002 के द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007

G.S.R. 719 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in Schedule VI to the said Act, namely :—

1. In the said Schedule, in "Part I Form of Balance-Sheet, under heading A. Horizontal Form",—

(1) in the first column relating to "Instructions in accordance with which liabilities should be made out", for the second paragraph appearing against the sub-heading "CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS", occurring in the second column, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"The following shall be disclosed under notes to the accounts:—

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(2) in the second column, relating to "Liabilities", under the heading "current liabilities and provisions", after item (2), the following sub-items shall be substituted, namely:—

(a) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and

(b) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.

(3) In the "Notes" embodying General Instructions for preparation of balance sheet, for item (q), the following shall be substituted, namely:—

(q) the terms 'appointed day', 'buyer', 'enterprise', 'micro enterprise', 'small enterprise' and 'supplier', shall be as defined under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2006/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot note.— The Schedule was amended *vide* :

1. Companies (Amendment) Act, 1960 and subsequently amended *vide*
2. G.S.R. No. 414 dated 21-3-1961.
3. G.S.R. No. 78 dated 4-1-1963.
4. G.S.R. No. 129 dated 3-1-1968.
5. G.S.R. No. 1665 dated 9-10-1971.
6. G.S.R. No. 494(E) dated 30-10-1973.
7. G.S.R. No. 455 dated 27-4-1974.
8. G.S.R. No. 220(E) dated 12-3-1979
9. S.O. No. 400(E) dated 19-4-1988.
10. G.S.R. No. 784(E) dated 13-7-1988.
11. S.O. No.723(E) dated 18-9-1990.
12. G.S.R. No. 388(E) dated 15-5-1995.
13. G.S.R. No. 423(E) dated 13-9-1996.
14. G.S.R. No. 129(E) dated 22-2-1999.
15. G.S.R. No. 376(E) dated 22-5-2002
16. G.S.R. 545(E) dated 1-8-2002
17. G.S.R. 762(E) dated 13-11-2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054